



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 932) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2013

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर 2013

सं0 15/एम 1-27/2013-2322—बिहार निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013) की धारा-47 की उप-धारा (1) सह पठित उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ । - (1) इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013),
 - (ख) "आवेदन फीस" से अभिप्रेत है प्रायोजक निकाय द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्रस्ताव एवं परियोजना प्रतिवेदन के साथ जमा की जाने वाली राशि;
 - (ग) "समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति,
 - (घ) "भूमि" से अभिप्रेत है निजी विश्वविद्यालय के मुख्य निवेश की स्थापना के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि परन्तु इसमें वैसी भूमि शामिल नहीं होगी जिसपर विश्वविद्यालय के 'निवेशवाह्यकेन्द्र' एवं 'अध्ययन केन्द्र' अवस्थित हो या जिसका उपयोग विशिष्टतः विश्वविद्यालय के चलाने के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।
 - (ङ0) "धारा" से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा; और
 - (2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये गए हों।
3. विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आवेदन पत्र ।- (1) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 365 दिन पूर्व बिहार सरकार (उच्च शिक्षा) विभाग को विहित प्रपत्र में निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आवेदन समर्पित किया जाएगा। आवेदन समर्पित करते

समय प्रायोजक निकाय को अधिनियम की धारा-9 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार भूमि के न्यूनतम क्षेत्र स्वामित्व में अथवा स्वामित्व रखने वाले एकरारनामे के अधीन अवश्य होना चाहिए और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उस भूमि के उपयोग की वैधता के संबंध में समुचित प्राधिकार से निर्गत "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

- (2) शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग द्वारा आवेदन सम्यक् रूप से स्वीकृत किया जाएगा।
- (3) प्रायोजक निकाय के निमित्त लिखत को अधिप्रमाणित करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (4) आवेदन के साथ 10,00,000 (दस लाख) रुपये की आवेदन फीस (अप्रत्यर्पणीय) निदेशक (उच्च शिक्षा) के पक्ष में पाने वाले के खाते में पटना में देय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। आवेदन फीस के बारे में प्राप्त धन राशि, निदेशक (उच्च शिक्षा) एवं अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते में निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा जमा की जाएगी। इस राशि को प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर, कार्यालय व्यय और इस प्रयोजनार्थ अन्य संबंधित व्यय का वहन इस खाते से किया जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आवेदन पत्र के साथ अनेक्सचर (1) के रूप में संलग्न प्रपत्र में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (साफ्ट कॉपी के साथ) की न्यूनतम 10 (दस) प्रतियाँ साथ लगायी जायेगी।
- (6) परियोजना प्रतिवेदन में अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (2) में यथोल्लिखित सभी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी। अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (3) अथवा इस नियमावली के नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन नामंजूर किया गया अभ्यावेदन पर पुनर्विचारण नहीं किया जायेगा। यद्यपि प्रायोजक निकाय, पूर्व प्रस्ताव के नामंजूर किए जाने की तिथि से 6 माह से पहले नहीं, अधिनियम की धारा (4) के अधीन नये सिरे से नया अथवा उपांतरित परियोजना के लिए आवेदन फीस के साथ आवेदन कर सकेगा।

4. आशय पत्र I- (1) अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय स्थापित करना वांछनीय है, तब अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रायोजक निकाय द्वारा धारा-5 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) से (ix) तक में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए 'आशय पत्र' निर्गत किया जा सकेगा।

- (2) यदि राज्य सरकार को ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह प्रायोजक निकाय को अधिमानतः 3 माह के भीतर सूचित कर देगी कि उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है।

5. सहायतार्थ निधि I- (1) विन्यास निधि निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को गिरवी रखी जाएगी, जो विन्यास निधि से संबंधित सारे अभिलेखों एवं लिखतों के अभिरक्षण एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विनिवेश के लिए अभिरक्षक भी होंगे।

- (2) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय अधिनियम या अधिनियम के अधीन अथवा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश, विनियमावली, या नियमावली के किसी भी प्रावधान, का अतिलंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा विन्यास निधि को अंशतः या पूर्णतः समपहृत कर ली जाएगी किन्तु ऐसे समपहरण से पूर्व राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, प्रायोजक निकाय अथवा विश्वविद्यालय को कारणपृच्छा नोटिस तामील किया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गए जबाब पर सभी तथ्यों के साथ सम्यक् रूप से विचार करेगी।
- (4) समपहृत की गई विन्यास निधि सरकार में निहित हो जायगी और इसका उपयोग समपहरण के समय राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव।

अनेक्सचर -1

(नियम 3(5) देखे)

बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रायोजक निकाय का विवरण

(i) नाम

(ii) पता (इमेल एवं दूरभाष संख्या सहित)

(iii) क्या सोसाईटी अथवा ट्रस्ट सोसाईटी निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन निबंधित अथवा ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन गठित है, यदि हाँ -

(क) निबंधन संख्या :- _____

(ख) निबंधन की तिथि :- _____

(ग) निबंधन का स्थान :- _____

सोसाईटी/ट्रस्ट के निबंधन/गठन संगम ज्ञापन के विवरण के साथ सोसाईटी/ट्रस्ट के निबंधन/गठन की प्रति संलग्न करें)

(iv) बिहार एवं भारत में वैधानिक स्थिति

(v) संस्थाओं के स्थापना का नाम एवं वर्ष यदि प्रायोजक निकाय द्वारा पहले से स्थापित की गई है ।

(vi) मौलिक सूचना (सूची/विवरणिका संलग्न करें) :-

(vii) प्रोग्राम आरंभ करने का वर्ष

(viii) शिक्षा, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इत्यादि के प्रभारी निकाय के साथ संबंध का विवरण। (All India Council for Technical Education, Bar Council of India, Council of Science and Industrial Research, Indian Council of Agriculture Research, Medical Council of India, National Council of Teacher Education, Pharmaceutical Council of India, University Grants Commission etc)

(ix) आवेदन फीस का विवरण (बैंक का नाम, राशि ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि)

(x) सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि के वर्गीकरण संबंधी निर्गत प्रमाण पत्र के साथ प्रायोजक निकाय के पास उपलब्ध भूमि का विवरण।

(भूमि वर्गीकरण हेतु सक्षम प्राधिकार के पत्र की प्रति संलग्न करें यदि नगरपालिका प्राधिकार सीमा भीतर होने का दावा किया गया है)

क्षेत्रफल

क्या आवेदक सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा स्वामित्व रखने वाला है, यदि हाँ तो

क्षेत्रफल

 / एकड

 / बीघा

(भूमि के दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)

यदि स्वामित्व है, तो भूमि के निबंधित होने का माध्यम –

विक्रय पत्र

:-

दान पत्र

:-

आवेदक सोसाईटी/ट्रस्ट/प्रस्तावित संस्था के नाम सरकार द्वारा लीज की गई है

यदि हाँ तो

निबंधन संख्या

:-

निबंधन की तिथि

:-

निबंधन का स्थान

:-

यदि भूमि सरकार निकाय से लीज पर है, तब वह प्रयोजन जिसके लिए लीज उपलब्ध कराने का उद्देश्य एवं लीज की अवधि

(भूमि निजी निकायों/व्यक्तियों द्वारा लीज की गयी भूमि स्वीकार्य नहीं है।)

हाँ

नहीं

क्या भूमि किसी संकल्प द्वारा संस्था के लिए अनन्य रूप से कर्णांकित है ?

हाँ

नहीं

यदि भूमि कृषि भूमि है तब सक्षम प्राधिकार/सरकार द्वारा उसके संपरिवर्तन प्रमाण पत्र—

हाँ नहीं

(भूमि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)

(xi) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में दिये गए विवरण के रूप में परियोजना प्रतिवेदन।

(xii) वित्तीय संसाधन का विवरण

कृपया नोट किया जाए — (आवेदक सोसाईटी/ट्रस्ट के नाम से निधि की उपलब्धता) भूमि के विरुद्ध बैंक गारंटी तथा बीमा स्वीकार्य नहीं है।)

सावधि जमा (ट्रस्ट/सोसाईटी के नाम पर सावधि/अन्य, सावधि जमा रसीद) (सावधि जमा रसीद के मुख्य एवं पृष्ठ भाग की छाया प्रतियाँ संलग्न करें)

सावधि जमा की राशि :- (रूपये लाख में)

अन्य जमा राशि :- (रूपये लाख में)

क्या आवेदक सोसाईटी का बैंक खाता का अंकेक्षण हुआ है —

हाँ नहीं

(अंतिम तीन वर्षों की छाया प्रति संलग्न करे)

प्रस्तावित विश्वविद्यालय के प्रोग्राम के लिए आवेदक को उपलब्ध निधि का विवरण उपर्युक्त छाया प्रतियों के साथ संलग्न करें।

(xiii) निम्नलिखित के संबंध में प्रस्तावित प्रोग्राम के बारे में सूचना :-

क्र०	पैमाना	पैतृक राज्य में	बिहार में प्रस्तावित
1	नाम पद्धति/अनुशासन		
2	प्रवेशस्तरीय अर्हता		
3	परीक्षा पैटर्न		
4	मूल्यांकन प्रणाली		
5	पाठ्यक्रम अवधि		
6	डिप्लोमा/अंतर स्नातक/ स्नातकोत्तर/ पी0एच0डी0 के प्रकार		
7	प्रवेश		
8	पाठ्यक्रम पाठचर्या (सेमेस्टरवार विवरण)		
9	फीस		

(14) कोई अन्य सुसंगत सूचना

आवेदक सोसाईटी निबंधन अधिनियम 1860 (केन्द्रीय अधिनियम 21,1860) के अधीन निबंधित सोसाईटी के रूप में निबंधित हुआ है/ कंपनी अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1, 1956) की धारा-25 के अधीन कंपनी निबंधित है और सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित एवं प्रत्यायित है, इंगित करनेवाला मूल प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

शिक्षा, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इत्यादि (आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया, विज्ञान एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा

परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक अध्ययन परिषद्, भारतीय फार्माक्यूटिकल परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि) के प्रभारी निकायों के साथ संबंध दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रायोजक निकाय के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

The 27th December 2013

Bihar Private Universities Rules, 2013

No. 15/एम 1-27/2013-2322—In exercise of powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 47 of the Bihar Private Universities Act, 2013 (Bihar Act No. 20 of 2013) the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules for carrying out of the purposes of the said Act, namely :-

1. Short title, extent and commencement .—These rules may be called the Bihar Private Universities Rules, 2013

- (2) It shall extend to the whole state of Bihar,
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions .—(i) In these rules, unless otherwise requires in the context :-

- (a) "Act" means the Bihar Private Universities Act, 2013 (Bihar Act No. 20 of 2013)
- (b) "Application fee" means the amount to be deposited by the sponsoring body along with the proposal and project report to establish a university in private sector;
- (c) "Committee" means a committee constituted under sub-section (3) of section 4 of the Act;
- (d) "Land" means land to be used for the establishment of the main campus of the University but shall not include land on which "off-campus centre" and "study centre" are located or which is not used for the exclusive purpose of running of the University,
- (e) "Section" means section of the Act; and
- (2) words and expressions used in these rules and not defined but defined in Act, shall have the same meaning respectively as is assigned to them in the Act.

3. Application for establishment of University.—(1) Application in prescribed form for establishment of the University shall be submitted to the Government in the Education (Higher) Department by the Sponsoring Body at least 365 days earlier than the proposed date to establish the University. At the time of submitting the application the Sponsoring Body must has the ownership or under an agreement of owing of the minimum area of land as per provisions contained in section 9 of the Act and shall furnish a "No objection Certificate" issued from the appropriate authority regarding legality of use of land for educational purposes.

- (2) Application shall be duly acknowledged by the Education (Higher) Department.
- (3) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of Sponsoring Body.

- (4) Application fee (non-refundable) of Rs. 10, 00,000/- (Ten lacs) shall be sent along with the application through a crossed account payee bank draft in favour of Director, Higher Education, Bihar payable at Patna. The money received on account of application fee shall be deposited by the Director, Higher Education in current account in a nationalized bank to be operated jointly by the Director, Higher Education and Under Secretary-cum-Drawing and Disbursing officer of the Higher Education. Office expenses and other related expenses for this purpose shall be met out of this account after obtaining approval from the Principal Secretary, Education Department.
- (5) Application for the establishment of the University shall be accompanied by at least ten copies of the detailed project report (including ten soft copies) in the format appended as Annexure-I.
- (6) The project shall contain particulars as mentioned in sub-section (2) of section 4. Application rejected under sub-section (3) of section 5 or sub-rule (2) of rule 4 of these rules shall not be reconsidered. The sponsoring body may, however, apply afresh for a new or a modified project under section 4 along with application fee, not earlier than 6 months from the date of rejection of previous proposal.

4. Letter of Intent .—(1) After the receipt of report of the committee constituted under sub-section (3) of section 4 of the Act, if the government is satisfied that it is advisable to establish a university, a letter of intent may be issued under sub-section (1) of section 5 of the Act of the Sponsoring Body to fulfill the conditions mentioned in clauses (i) to (ix) of sub-section (1) of section 5.

- (2) If the Government is not so satisfied, it shall inform the sponsoring body preferably within three months, that their proposal, has been rejected.

5. Endowment fund .—(1) The endowment fund shall be pledged in the name of Director, Higher Education Bihar, who shall also be the custodian for all documents and instruments related to the endowment fund and its investment in accordance with the provisions of the Act.

- (2) In case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of the Act, Statutes, ordinance, regulations or rules made there under, a part or whole of the endowment fund may be forfeited by the Government but before such forfeiture, a show cause notice shall be served by the Government on the sponsoring body or the university, as the case may be.
- (3) The Government shall, among other things, duly consider the reply submitted by the sponsoring body/university.
- (4) In case the reply to show cause notice issued under sub rule (2) is not submitted by the sponsoring body or the university within 45 days of the notice, the Government may decide the case without waiting for such reply.
- (5) The forfeited amount of endowment fund shall vest in the Government and it shall be used in the manner to be specified by the Government at the time of forfeiture.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Principal Secretary to Government.

ANNEXURE -1**[See rule 3 (5)]****Application form for the Establishment of Private University in Bihar****Details of Sponsoring Body:-**

(i) Name

(ii) Address with e-mail, Phone number:

(iii) Whether a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Trust Constituted under the Indian Trust Act, 1882.

(a) Registration Number :- _____

(b) Date of Registration :- _____

(c) Place of Registration :- _____

(Attach Copy of Registration of Society/Trust along with details of Registration/constitution of memorandum of association of the Society/Trust).

(iv) Legal Status in Bihar and India

(v) Name and year (s) of establishment of the institutions, if already established by the Sponsoring Body:

(vi) Original Information (Enclose Catalogue/Brochure):-

(vii) Year of commencement of Programme (s):

- (viii) Details of relationship with the bodies in charge of Education, Technical /Professional Education, Medical Education etc. i.e. All India Council for Technical Education, Bar Council of India, Council of Science and Industrial Research, Indian Council of Agriculture Research, Medical Council of India, National Council of Teacher Education, Pharmaceutical Council of India, University Grants Commission, etc. :

- (ix) Details of application fee i.e. name of the Bank, amount, demand draft number and date:

- (x) Details of land available with the sponsoring body along with the certificate issued by the competent authority regarding the classification of land.

(Attach copy of letter from competent authority for classification of land, if claimed to be within the limits of Municipal Authority)

Area:

Whether owned by the applicant society/Trust: yes No

If yes, then

Area /Acres /Bigha

(Attach copy of land documents)

If owned, whether the land is registered through a

Sale Deed :

Gift Deed :

Leased by Government in the name of the applicant Society/Trust/ Proposed Institution

If yes then -

Registration Number :- _____
 Date of Registration :- _____
 Place of Registration :- _____

If the land is on lease from Government bodies then the purpose for which it was leased and period of lease granted.

(Land, if leased from private bodies/persons is not acceptable)

Yes No

Whether the land has been exclusively earmarked for the institution by any resolution:

Yes No

If land is agricultural, then conversion certificate from local Government/ Competent

Authority:

Yes No

(Attach copy of land use Certificate)

(xi) Project Report as detailed in sub-section (2) of section 4 of the Act.

(xii) Details of Financial Resources.

Availability of funds in the name of Applicant Society/Trust.

[Please note that Bank Guarantees against mortgage of land, building and assurance are not acceptable]

Fixed Deposits (Fixed Deposit Receipts/other deposits in the name of the Applicant Trust/Society) [Attach Xerox copy of FD Receipt Front and Back Side]

Fixed Deposits Receipts Amount: Rs. _____ [in lakhs]

Other Deposits: Rs. _____ [in lakhs]

Whether the Accounts of the Applicant Society/Trust are audited.

Yes No

(Attach Xerox copy of last three years]

(Attach details of fund available with applicant for the proposed university programme along with Xerox copies as above)

(xiii) Information about the proposed programme with respect to the following:-

Sl. No.	Parameter	In parent state	Proposed in Bihar
1	Nomenclature/Discipline		
2	Entry level Qualification		
3	Examination Pattern		
4	Evaluation system		
5	Duration of Course		
6	Type Dip/under Graduate/ Post Graduate/Doctor of Philosophy		

7	Intake		
8	Course Curriculum (Provide Semester wise details)		
9	Fee		

(xiv) Any other relevant information.

--

A copy of the certificate indicating that the applicant has been registered as a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860)/a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) and is approved and accredited by the Government or an agency authorized by the Government in India of its origin.

A copy of certificate indicating details of relationship with the bodies in- charge of Education. Technical/Professional Education, Medical Education etc. (i.e. All India Council for Technical Education, Bar Council of India, Council of Science and Industrial Research, Indian Council of Agriculture Research, Medical Council of India, national Council of Teacher Education, Pharmaceutical Council of India, University Grant Commission, etc.)

Name and Signature of the Authorized
Signed of the sponsoring body

Date

Place

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 932-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>